सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 76/10 **निर्णय दिनांकः—11.06.2018**

1. लिछमणराम पुत्र श्योजीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मूंडसी तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. जेठाराम पुत्र नत्थाराम जाति मेघवाल निवासी मूंडसर तहसील बीकानेर।(फौत)

1/1 आसी पत्नी स्व. जेठाराम
1/2 रामप्रताप
1/3 दीपाराम
1/4 हस्तू
1/5 पेमा
1/6 रामी
1/7 समली
| पुत्र/पुत्रियॉ स्व. जेठाराम

2. सुरजाराम पुत्र नत्थाराम जाति मेघवाल निवासी मूंडसर तहसील बीकानेर।
3. मृतक पेमाराम पुत्र नत्थाराम जाति मेघवाल निवासी मूंडसर तहसील बीकानेर।
4. बुधाराम पुत्र नत्थाराम जाति मेघवाल निवासी मूंडसर तहसील बीकानेर।
5. कालूराम पुत्र नत्थाराम जाति मेघवाल निवासी मूंडसर तहसील बीकानेर।
6. झूमा पुत्री नत्थाराम पत्नी बेगाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम शेरूणा तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
7. दुर्गा पुत्री नत्थाराम पत्नी भोमाराम जाति मेघवाल निवासी हमेराबास बीकानेर।
8. गीतू पुत्री नत्थाराम पत्नी मामराज जाति मेघवाल निवासी बम्बलू बीकानेर।
9. जमना पुत्री रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी बम्बलू बीकानेर।
10. रूखमा पत्नी स्व. भैराराम जाति मेघवाल निवसाी मूंडसर, बीकानेर।
11. इमरताराम पुत्री भैराराम जाति मेघवाल निवासी मूंडसर, बीकानेर।

12. विनोद
13. नन्दराम
14. सुखराम
15. मालूराम
16. काली
17. सोनी

पुत्र/पुत्रियॉ श्री गणेशाराम नाबालिग जरिये कुदरती वाली माता संतोष खुद

18. सन्तोष बेवा गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी मूंडसर तहसील व जिला बीकानेर।
19. रजिराम पुत्री भैराराम जाति मेघवाल निवासी मूंडसर तहसील व जिला बीकानेर।
20. अखी पुत्री भैराराम पत्नी ओमजी कतरियासर तहसील बीकानेर।
21. खिवणी पत्नी स्व. खेताराम जाति मेघवाल निवासी मूंडसर तहसील व जिला बीकानेर।(फौत)
22. अनी पुत्री खेताराम पत्नी श्रवणराम निवासी अक्कासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
23. बेगाराम पुत्र श्योजी जाति मेघवाल निवासी मूंडसर तहसील व जिला बीकानेर।
24. गोपालराम पुत्र श्योजी जाति मेघवाल निवासी मूंडसर तहसील व जिला बीकानेर।
25. मु. बाली पत्नी स्व. श्योजी जाति मेघवाल निवासी मूंडसर तहसील व जिला बीकानेर।
26. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 02—08—2010
सहायक कलेक्टर, बीकानेर

उपस्थितः

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 02—08—2010 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा वादी/अपीलांट का वाद धारा 11 सीपीसी के तहत निरस्त फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि वाके ग्राम मूंडसर के खेत खसरा नम्बर 301 तादादी 4.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 363 तादादी 2.75 हेक्टर, खसरा नम्बर 364 तादादी 8.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 922 तादादी 3.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 943 तादादी 8.41 हेक्टर, खसरा नम्बर 944 तादादी 8.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 965 तादादी 4.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 1265/465 तादादी 2.58 हेक्टर कुल तादादी 44.67 में से 1/8 हिस्सा यानि 5.58 हेक्टर भूमि का खातेदार है तथा उक्त भूमि की जरिये विभाजन डिक्री प्रदान की जावे। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 13—07—2010 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर पत्रावली जवाब स्तर पर जैरकार थी। उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया था कि वादगत् कृषि भूमि हेतु पक्षकारान् के मध्य राजस्व अभियान दिनांक 24—04—2008 को आपसी सहमति के आधार पर विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स से किया जा चुका है। उक्त विभाजन के आधार पर नामान्तरणकरण दर्ज किया जाकर राजस्व अभिलेखों में खाता विभाजन की प्रविष्ठियॉ हो चुकी है। अतः उक्त खाता विभाजन का वाद पुनः न्यायालय में इसी वादगत् भूमि एवं इन्हीं पक्षकारों के मध्य नहीं चल सकता। इसलिए दावा इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया था कि वादगत् भूमि के बाबत् वादी/अपीलांट ने अपनी सहमति देकर वादगत् भूमि का राजस्व अभियान में बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस विभाजन नहीं करवाया है। प्रतिवादीगण द्वारा फर्जकारी करते हुए कोई विभाजन करवाया गया है एवं तथाकथित विभाजन के आधार पर कोई इंतकाल दर्ज किया गया है तो उससे वादी/अपीलांट बाधित नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा जानबूझ कर अदालत मातहत के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत न करते हुए अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा तमाम कार्यवाही जवाब प्रस्तुत नहीं करते हुए प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने के उद्वेश्य से प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादीगण द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् रेसजूडिकेसा के संबंध में आपत्ति वाद द्वारा प्रस्तुत वाद के जवाब में उठाई जा सकती थी। प्रकरण में तथाकथित बंटवारा दिनांक 24—04—2008 को बताया गया है। जबकि उक्त आदेश को प्रतिवादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष कभी प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। अपीलांट को ऐसे किसी आदेश की कोई जानकारी हासिल नहीं थी ना ही कभी कोई सूचना इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा दी गई नाही ऐसी किसी कार्यवाही में अपीलांट को बुलाया गया ना ही अपीलांट की कोई स्वीकृति ही ली गई। अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं था। जो आदेश पत्रावली पर उपलब्ध ही नहीं हो उसके आधार पर रेसज्यूडिकेसा मानकर निर्णय पारित किया जाना स्पष्ट रूप से कानून की अवहेलना है।

जहॉ तक वादगत् भूमि के विभाजन उपरान्त इंतकाल दर्ज किये जाने का प्रश्न है, यदि उक्त इंतकाल को मान भी लिया जावे तो इंतकाल एक फिसकल प्रोसिडिंग है जिससे किसी के अधिकार समाप्त नहीं होते है। जिस विभाजन के आधार पर इंतकाल दर्ज किया जाना

बताया है उक्त विभाजन ही अपने आप में गलत एवं विरोधाभासी है। ऐसे इंतकाल के आधार पर व तथाकथित विभाजन जिस अपीलांट की कोई सहमति नहीं है, को आधार मानकर अदालत मातहत ने धारा 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र अपीलांट/वादी का वाद खारिज करने में कानूनी गलती कारित की है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आरआरडी 1997 पेज 97 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है। जिसमें अभिलिखित है किः—

Raj. Land Revenue Act, Sec. 135 - Mutation entries whether determine any rights - Held, mutation entries are meant only for fiscal purpose - such entries do not determine any right if challenged by any of the parties.

इस प्रकार अदालत मातहत का अपीलाधीन आदेश स्पष्ट रूप से कानून के प्रावधानों के विपरीत व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आरआरडी 1996 पेज 306 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अभिलिखित है किः—

Section 11 - In a suit for declaration and eviction written statement was not filed but an application submitted that suit is barred by res judicata u/s 11 which was decided by trial court on merit. Held, under the circumstances, the application was not maintainable and order of trial court, set aside- The order will not be applicable on the parties. Direction issued for disposal of the case on merit.

उन्होनें आगे बताया कि चूंकि वादगत् भूमि से संबंधित सभी तथ्य साक्ष्य से संबंधित है। ऐसी दशा में अदालत मातहत को

नियमानुसार वाद के संबंध में तनकीयात् कायम करते हुए, साक्ष्य व सबूत प्राप्त करते हुए तनकीवार/साक्ष्य व सबूतों के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है ना की सरसरी तौर पर आदेश पारित किया जाना चाहिए था। इस संबंध में विभिन्न उच्चतर न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहॉ मामलें का निस्तारण गुणावगुण पर तनकीयात कायम करके साक्ष्य लेकर किया जाना हो वहॉ नियम 11 सीपीसी के तहत वाद का निस्तारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आरआरडी 1985 पेज 581 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है। जिसमें अभिलिखित है किः—

Neither pleadings nor issues framed in partition suit, produced but only judgment, produced - Held, findings of lower court not be sustained in absence of pleading and issues of previous suit.

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादी के वाद में न तो रेस्पोडेन्ट जवाब लिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा तमाम कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए मात्र औपचारिकता पूर्ण तरीके से अपीलांट/वादी का वाद नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज करने में कानूनी भूल कारित की गई है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आरआरटी 2015 पार्ट I पेज 655 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कथन किया है किः—

Code of Civil Procedure, 1908 - Sec. 11 - Suit dismissed - Question of res duficata is a mixed question of fact & law-No written statement was filed - Framing of issues & evidence was necessary for deciding the case - Held, Courts below have committed error in dismission the suit.

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने इसके अतिरिक्त अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2004 पार्ट I पेज 641 व आआरडी 1996 पे 306

के न्यायिक दृष्टांत पेश करते हुए कथन किया कि उपरोक्त नजीरों के प्रकाश में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि वे मामलें में जवाब दावा व साक्ष्य लेकर पुनः विधिवत् निर्णय पारित करें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्व जिसके द्वारा अपीलांट/वादी का वाद नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है, प्रस्तुत की गई है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् की आदेश जैर अपील पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 13—07—2010 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि वादगत् कृषि भूमि एवं पक्षकारान् के मध्य दौराने राजस्व अभियान दिनांक 24—04—2008 को आपसी सहमति के आधार पर विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स किया जाकर निर्णित हो चुका है। वादगत् भूमि के बाबत् उक्त विभाजन के आधार पर नामान्तरणकरण सभी पक्षकारों के मध्य दर्ज किया जाकर खाताविभाजन की प्रविष्ठियॉ हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जब वादगत् भूमि के बाबत् सभी पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हो चुका है तथा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जा चुका है ऐसी स्थिति में उसी भूमि के बाबत् पुनः खात विभाजन का वाद इन्हीं पक्षकारों के मध्य नहीं लाया जा सकता। पक्षकारों के मध्य हुए विभाजन के बाबत् रेस्पोडेन्ट द्वारा इंतकाल की प्रति अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जा चुका था। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वाद प्रस्तुत करते हुंए वादगत् भूमि ग्राम मूंडसर के खेत खसरा नम्बर 301 तादादी 4.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 363 तादादी 2.75 हेक्टर, खसरा नम्बर 364 तादादी 8.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 922 तादादी 3.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 943 तादादी 8.41 हेक्टर, खसरा नम्बर 944 तादादी 8.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 965 तादादी 4.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 1265/465 तादादी 2.58 हेक्टर कुल तादादी 44.67 में से 1/8 हिस्सा यानि 5.58

हेक्टर भूमि की मांग की गई है। उक्त भूमि पूर्व में ही अपीलांट/वादी को जरिये विभाजन दिनांक 24—04—2008 के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है तथा जिसका इन्द्राज भी राजस्व रिकार्ड में किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उसी भूमि के बाबत् नया वाद प्रस्तुत करने का उसे कतई अधिकार नहीं हैं अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद स्पष्ट रूप से रेसज्यूडिकेसा से प्रभावित है। एक ही विषय वस्तु व समान पक्षकारों के मध्य पुनः उसी भूमि बाबत् वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दावे के समर्थन में प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2062 में वादी का हिस्सा 1/8 होना स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इंतकाल संख्या 1014 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते का विभाजन होना अंकित है। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट/वादी का वाद खारिज किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने में कोई त्रूटि कारित नहीं की गई है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट जजमेंटस 2005 (5) पेज 392 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत दावा पेश किया। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 02—08—2010 जिसके द्वारा अपीलांट/वादी का दावा अदालत मातहत द्वारा नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है के विरुद्व अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत को नियमानुसार वाद के संबंध में तनकीयात् कायम करते हुए, साक्ष्य व सबूत प्राप्त करते हुए तनकीवार/साक्ष्य व सबूतों के आधार पर आदेश

जैर अपील पारित किया गया है ना की सरसरी तौर पर आदेश पारित किया जाना चाहिए था। जैसा की प्रकरण में अदालत मातहत नहीं किया गया।

(3) हमने अदालत मातहत की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अपीलांट/वादी ने ग्राम ग्राम मूंडसर के खेत खसरा नम्बर 301 तादादी 4.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 363 तादादी 2.75 हेक्टर, खसरा नम्बर 364 तादादी 8.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 922 तादादी 3.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 943 तादादी 8.41 हेक्टर, खसरा नम्बर 944 तादादी 8.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 965 तादादी 4.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 1265/465 तादादी 2.58 हेक्टर कुल तादादी 44.67 में से 1/8 हिस्सा यानि 5.58 हेक्टर भूमि की मांग की गई है।

(4) प्रस्तुत मामलें में रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 13—07—2010 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया कि वादगत् कृषि भूमि के बाबत् पक्षकारों के मध्य राजस्व अभियान दिनांक 24—04—2008 को आपसी सहमति के आधार पर विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स हो चुका है तथा उक्त विभाजन के आधार पर नामान्तरणकरण सभी पक्षकारों के मध्य दर्ज किया जा चुका है। जब वादगत् भूमि के बाबत् सभी पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हो चुका है तथा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जा चुका है ऐसी स्थिति में उसी भूमि के बाबत् पुनः खात विभाजन का वाद इन्हीं पक्षकारों के मध्य नहीं लाया जा सकता।

(5) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2062 जिसमें वादी/अपीलांट का 1/8 हिस्सा निहित होना परिलक्षित होता है। इसी प्रकार प्रस्तुत इंतकाल संख्या 1014 के अनुसार भी वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते का विभाजन होना अंकित है। अपीलांट/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद में भी वादगत् भूमि पर अपने 1/8 हिस्से के विभाजन की मांग की गई है। वादगत् भूमि पर अपीलांट को उसके हिस्से अनुसार अर्थात 1/8 हिस्सा पूर्व में विभाजन दिनांक 24—04—2008 द्वारा प्राप्त हो चुका है। ऐसी

स्थिति में अपीलांट/वादी का वाद स्पष्ट रूप से रेसज्यूडिकेसा से प्रभावित है। इस संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर Supreme Court Judgements 2005(5) page 392 जिसमें अभिलिखित है किः—

Civil Procedure Code, 1908 - Section 11 - Res judicata - Object and purport of - Held - Once matter which was subject matter of lis stood determined by a competent court no party thereafter can be permitted to reopen it in a subsequent litigation.मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

(5) जहॉ तक अपीलांट का कथन की अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व नियमानुसार तनकीयात् कायम नहीं की गई ना ही साक्ष्य व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया गया। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि जब वादगत् भूमि के बाबत् पक्षकारों के मध्य पूर्व में ही विभाजन होते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को यदि उक्त आदेश से किसी प्रकार का कोई एतराज था तो उस आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिए थी। अपीलांट द्वारा ऐसा न करते हुए समान विषय वस्तु व समान पक्षकारों के मध्य एक ही विषय वस्तु व समान पक्षकारों के मध्य पुनः उसी भूमि बाबत् वाद प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा नियम 11 सीपीसी के तहत अपीलांट/वादी का वाद खारिज करने में कोई त्रूटि कारित नहीं की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में जो नजीरें प्रस्तुत की गई है उक्त नजीरें मामलें पर चस्पा नहीं होती है क्योंकि अपीलांट/वादी द्वारा अपने वादपत्र में जो अनुतोष चाहा गया है, उक्त अनुतोष दिनांक 24—04—2008 को वादगत् भूमि के बाबत् हुए विभाजन के माध्यम से अपीलांट/वादी को प्राप्त हो चुका है। यदि अपीलांट/वादी उक्त विभाजन से असंतुष्ट है तो ऐसी स्थिति में उक्त

विभाजन आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतन्त्र है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, बीकानेर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 02—08—2010 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर